



## इन्दिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान

(राज्य ग्रामीण विकास संस्थान)

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर 302 004  
ईपीएवीएक्स 2706577-78, फ़ैक्स 0141-2706575

Website : [igprgvs.rajasthan.gov.in](http://igprgvs.rajasthan.gov.in)

क्रमांक: एफ 4 ( ) केयर/आईजीपीआरएस/2017/ 2963

दिनांक: 26/8/17

मैसर्स राजस्थान रॉयल्स,  
गुणावत सदन, शंकरपुरा वार्ड नं.3,  
जिला-टोंक  
मोबाईल नं.-9252111622

विषय :-दस्तावेजों की पूर्ति के क्रम में

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके द्वारा संस्थान में 2 सीनियर कंसलटेंट व 2 जूनियर कंसलटेंट एवं 1 प्रशिक्षण कम अकाउण्ट्स असिस्टेंट उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन निविदा प्रस्तुत की गई है। आप द्वारा प्रस्तुत निविदा के तकनीकी विश्लेषण करने पर पाया गया कि आप द्वारा निविदा के साथ निम्न वांछित दस्तावेज संलग्न नहीं किये गये है :

1. फर्म का Authorization लेटर
2. वर्तमान में कार्यरत स्थायी/नियमित कंसलटेंट/कार्मिकों के नाम मय सूची (कम से कम 10)
3. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का आवश्यक रूप से भुगतान किये जाने बाबत 100/- रुपये के स्टाम्प पर प्रमाण-पत्र
4. गत पाँच वर्षों में कहीं भी Black Listed नहीं किये जाने संबंधी स्व-घोषणा मय प्रमाण-पत्र
5. नवीनतम कर शोधन प्रमाण-पत्र/नवीनतम GST जमा कराने की e-challan की प्रति

अतः RAPP नियम,2013 के नियम संख्या 61 (2) के क्रम में-आप पत्र प्राप्ति के दो दिवस में वांछित दस्तावेज कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उक्त के अभाव में आप द्वारा प्रस्तुत निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा तथा आपकी निविदा नियमानुसार निरस्त कर दी जावेगी।

  
अतिरिक्त निदेशक



## इन्दिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान

(राज्य ग्रामीण विकास संस्थान)

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर 302 004

ईपीएवीएक्स 2706577-78, फ़ैक्स 0141-2706575

Website : [igprgvs.rajasthan.gov.in](http://igprgvs.rajasthan.gov.in)

क्रमांक: एफ 4 (161) केयर/आईजीपीआरएस/2019/3962

दिनांक: 26/8/2019

मैसर्स इण्डस्ट्रीयल कन्सलटेन्ट्स,  
140, किशन नगर, श्याम नगर, जयपुर  
मोबाईल नं.—9829393966

विषय :-दस्तावेजों की पूर्ति के क्रम में

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके द्वारा संस्थान में 2 सीनियर कंसलटेंट व 2 जूनियर कंसलटेंट एवं 1 प्रशिक्षण कम अकाउण्ट्स असिस्टेंट उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन निविदा प्रस्तुत की गई है। आप द्वारा प्रस्तुत निविदा के तकनीकी विश्लेषण करने पर पाया गया कि आप द्वारा निविदा के साथ निम्न वांछित दस्तावेज संलग्न नहीं किये गये हैं :

1. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का आवश्यक रूप से भुगतान किये जाने बाबत 100/- रुपये के स्टाम्प पर प्रमाण-पत्र
2. गत पाँच वर्षों में कहीं भी Black Listed नहीं किये जाने संबंधी स्व-घोषणा मय प्रमाण-पत्र
3. नवीनतम कर शोधन प्रमाण-पत्र/नवीनतम GST जमा कराने की e-challan की प्रति

अतः RTPP नियम,2013 के नियम संख्या 61 (2) के क्रम में—आप पत्र प्राप्ति के दो दिवस में वांछित दस्तावेज कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उक्त के अभाव में आप द्वारा प्रस्तुत निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा तथा आपकी निविदा नियमानुसार निरस्त कर दी जावेगी।

  
अतिरिक्त निदेशक